39–(08)–21–2015

पटना में दिनांक–08 जुलाई, 2015 बुधवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	उद्योग विभाग	
1.	केन्द्रीय डिजाइन केन्द्र, राजेन्द्रनगर, पटना एवं पॉलिस्टर एवं वस्त्र प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र, बरारी, भागलपुर में वित्तीय वर्ष 2015–16 (अप्रैल 2015) से प्रशिक्षणर्थियों को छात्रवृत्ति की राशि 300/–रू० प्रतिमाह से बढ़ाकर 800/–रू० प्रति माह स्वीकृति के संबंध में।	1. **स्वीकृत।**
	गन्ना उद्योग विभाग	
2.	वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन से उद्भूत प्रतिपूर्ति राशि को राज्य के विभिन्न चीनी मिलों को भुगतान करने हेतु आन्तरिक सामंजन के माध्यम से मुख्यशीर्ष–2852–उद्योग के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि से 50.71 करोड़ (पचास करोड़ इकहत्तर लाख रूपये) अग्रिम स्वीकृति के संबंध में।	2. **स्वीकृत।**
	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	
3.	बिहार संग्रहालय, पटना के संचालन एवं स्थापना–व्यय हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार संग्रहालय समिति, पटना को ₹ 90,00,000/–(नब्बे लाख रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति।	3. **स्वीकृत।**
	पथ निर्माण विभाग	
4.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष–3054–सड़क तथा सेतु के उपशीर्ष–0101–क्षमता विकास (बाह्य सम्पोषित) मद में बिहार आकस्किता निधि से कुल ₹ 3,65,00,000/–(तीन करोड़ पैसठ लाख रूपये) मात्र अग्रिम प्राप्त करने एवं उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम अनुपूरक आगणन से करने की स्वीकृति।	4. **स्वीकृत।**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
5.	कटिहार जिलान्तर्गत मनिहारी अंचल के मौजा–मनिहारी के थाना नं०–333, खाता सं०–1197, खेसरा सं०–955, रकबा–2.65 एकड़, गैरमजरूआ आम (नाला) भूमि (जिसकी प्रकृति बदल गई है) के 1,06,00,000/–(रू० एक करोड़ छः लाख) सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान का 25 गुणा अर्थात 1,32,50,000/–(रू० एक करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार) पूंजीकृत मूल्य सहित कुल–2,38,50,000/–(रू० दो करोड़ अड़तीस लाख पचास हजार) के भुगतान पर पावर सब स्टेशन के निर्माण के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	5. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. रोहतास जिलान्तर्गत डिहरी अंचल के मौजा–डिहरी, थाना नं०–161 के एम० एस० खतियान एवं सी० एस० खतियान के अनुसार क्रमशः खाता सं०–76 एवं 228 के विभिन्न खेसरों का कुल रकबा–8.47 एकड़ (अनु०–I), जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार/कैसरे हिन्द, नहर भूमि जो जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन है, व्यवहार न्यायालय, डिहरी के न्यायिक भवन एवं आवासीय परिसर हेतु विधि विभाग, बिहार को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

6. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. रोहतास जिलान्तर्गत सासाराम अंचल के मौजा–मदैनी, थाना नं०–141, खाता सं०–160 खेसरा सं०–381 रकबा–0.50 एकड़ (पचास डिसमिल) अनाबाद सर्वसाधारण किस्म आहर भूमि Special Plan (BRGF) PHASE-I योजना के अधीन 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 12000/–रू० प्रति डिसमिल के दर से 6,00,000/–रू० सलामी एवं सलामी का 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान अर्थात 30,000/–रू० का 25 गुणा अर्थात 7,50,000/–रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 13,50,000/–रू० (तेरह लाख पचास हजार) के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।

7. स्वीकृत।

विधि विभाग

8. न्यायमंडल सीतामढ़ी के अधीन पुपरी अनुमंडलीय न्यायालय में सब–जज–I–सह–अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के लिए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल–10 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

8. स्वीकृत।

विधि विभाग

9. अनुमंडलीय न्यायालय, शेरघाटी (गया), बीरपुर (सुपौल) एवं बिक्रमगंज (रोहतास) में अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–सह–सब–जज के लिए वर्ग–3 एवं वर्ग–4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल–36 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।

9. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

10. Food Safety And Standards Act, 2006 एवं Food Safety And Standards Rules, 2011 के प्रावधानों के आलोक में बिहार राज्य खाद्य संरक्षा सेवा के अंतर्गत खाद्य संरक्षा संवर्ग एवं खाद्य विश्लेषक संवर्ग के विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति एवं खाद्य निरीक्षक एवं अन्य पदों का प्रत्यर्पण।

10. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2015–16 में "बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" अन्तर्गत राज्य योजना मद से राज्य के सरकारी माध्यमिक (नव उत्क्रमित सहित), उच्च माध्यमिक विद्यालय/अराजकीय अल्पसंख्यक मध्यमिक विद्यालयों / अंगीभूत/ संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय/अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/ संस्कृत एवं वित्त रहित स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों (इंटर महाविद्यालय) में कक्षा 9वीं से 12वीं में नामांकित छात्राओं को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में One Time उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए छात्राओं के लिए पोशाक क्रय हेतु प्रति छात्रा राशि 1000/–(एक हजार) रूपये की दर से वर्ग IX, X के लिए 1552064 (पन्द्रह लाख बावन हजार चौंसठ) छात्राओं एवं XI, XII के लिए 523310 (पाँच लाख तेइस हजार तीन सौ दस) अर्थात् कुल 2075374 (बीस लाख पचहत्तर हजार तीन सौ चौहत्तर) छात्राओं के लिए कुल राशि ₹ 2,07,53,74,000/–(दो अरब सात करोड़ तिरपन लाख चौहत्तर हजार) रूपये व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

11. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

12. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी०डब्लू०जे० सी० संख्या– 5604/2010 में दिनांक– 10.05.10 एवं एम०जे०सी० संख्या–257/2014 में दिनांक–21.01.2015 को पारित न्यायादेश के आलोक में डॉ० विलट पासवान विहंगम, तत्कालीन अध्यक्ष, विघटित अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड, पटना को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति के समकक्ष पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक–25.03.2005 से 19.04.2007 तक बकाया अन्तर राशि का अवशेष राशि भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत मद से सहायक अनुदान के रूप में 1,28,863/–(एक लाख अठाइस हजार आठ सौ तिरसठ) रूपये मात्र की स्वीकृति।

12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के सरकारी माध्यमिक (नव उत्क्रमित सहित), उच्च माध्यमिक विद्यालय/ अनुदानित प्रस्वीकृत मदरसा/ संस्कृत एवं स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना के अन्तर्गत 9वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र– छात्राओं को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में One Time उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए नामांकित 8,28,347 (आठ लाख अठाईस हजार तीन सौ सैतालीस) छात्रों के लिए कुल ₹ 2,07,08,67,500/– (दो अरब सात करोड़ आठ लाख सड़सठ हजार पाँच सौ रूपये) एवं 9वीं कक्षाओं में नामांकित 8,15,837 (आठ लाख पन्द्रह हजार आठ सौ सैतीस) छात्राओं के लिए कुल ₹ 2,03,95,92,500/–(दो अरब तीन करोड़ पंचानवे लाख बानवे हजार पाँच सौ रूपये) अर्थात कुल ₹ 4,11,04,60,000/–(चार अरब ग्यारह करोड़ चार लाख साठ हजार रूपये) के व्यय की स्वीकृति।

13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. विघटित बिहार कॉलेज सेवा आयोग, पटना के सेवा निवृत कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत मद से पेंशनादि का भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में रूपये 6,00,000/–(छः लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति।

14. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

15. दिनांक–03.06.2011 को फारबिसगंज जिला–अररिया में हुई पुलिस गोलीकांड की न्यायिक जाँच हेतु गठित आयोग का दिनांक–01.07.2015 से 31.08.2015 तक अवधि विस्तार के संबंध में।

15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लेने के संबंध में।

16. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

17. लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में दिनांक–18.03.1974 से 21.03.1977 तक चलाये गये आन्दोलन में भाग लेने के फलस्वरूप पेंशन स्वीकृत सेनानियों के पेंशन में बढ़ात्तरी एवं उनकी मृत्यु के बाद पति/पत्नी (Spouse) को पेंशन देने के संबंध में।

17. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

18. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 1947 पुस्तकालयाध्यक्षों के चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में नियत वेतन भुगतान हेतु प्रावधानित राशि ₹ 33,00,00,000/–(तैतीस करोड़) रूपये सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

18. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

19. राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत 66,104 नगर शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक को वित्तीय वर्ष 2015–16 के वेतन भुगतान के लिए नियोजन इकाईयों को सहायक अनुदान मद में कुल 7,11,50,40,000/–(सात अरब ग्यारह करोड़ पचास लाख चालीस हजार) रूपये की स्वीकृति एवं 2,37,14,42,832/–(दो अरब सैंतीस करोड़ चौदह लाख बयालीस हजार आठ सौ बत्तीस) रूपये की विमुक्ति करने की स्वीकृति के संबंध में।

19. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

20. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 (332+199) संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल ₹ 1,50,00,00,000/–(एक अरब पचास करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान में से शेष ₹ 1,15,00,00,000/– (एक अरब पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

20. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

21. राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल राशि ₹ 25,00,00,000/–(पच्चीस करोड़) रूपये मात्र प्राप्त सहायक अनुदान की राशि की व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

21. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

22. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के नियत मानदेय भुगतान हेतु ₹ 15,00,00,000/– (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

23. **स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

23. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्यांश की अवशेष राशि ₹31249.72 लाख (तीन अरब बारह करोड़ उन्नचास लाख बहत्तर हजार) में से केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में भारत सरकार द्वारा उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के शिक्षकों के बकाया मानदेय भुगतान हेतु ₹17,31,21,386/– (सत्रह करोड़ एकतीस लाख इक्कीस हजार तीन सौ छियासी रूपये) के वित्तीय वर्ष 2015–16 में व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

23. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

24. राज्य के माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद् एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 20241 माध्यमिक शिक्षकों के वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 3,68,37,24,000/–(तीन अरब अड़सठ करोड़ सैतीस लाख चौबीस हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 3,21,86,31,600/– (तीन अरब इक्कीस करोड़ छेयासी लाख इकतीस हजार छः सौ) रूपये सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

24. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

25. राज्य के 10+2 माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों में नियोजित 10814 (दस हजार आठ सो चौदह) उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में नियत वेतन भुगतान हेतु ₹ 1,94,83,20,000/–(एक अरब चौरानवे करोड़ तिरासी लाख बीस हजार) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 1,83,67,64,720/–(एक अरब तेरासी करोड़ सड़सठ लाख चौसठ हजार सात सौ बीस) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

25. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

26. मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए केन्दांश मद में निर्गत राशि 3,06,84,05,000/–(तीन सौ छः करोड़ चौरासी लाख पाँच हजार रू०) के आलोक में स्वीकृत बजट उपबंध में वर्णित राशि 1,59,18,00,000/–(एक सौ उनसठ करोड़ अठारह लाख रू०) एवं एम०डी०एम० राज्यांश बजट शीर्ष से पुनर्विनियोग राशि 1,30,66,50,000/– (एक सौ तीस करोड़ छियासठ लाख पचास हजार रू०) एवं पुनर्विनियोग राज्यांश बजट शीर्ष एस०एस०ए० से 16,99,55,000/–(सोलह करोड़ निनान्वे लाख पचपन हजार रू०) इस तरह तीनों मिलाकर केन्द्रांश मद में कुल राशि 3,06,84,05,000/–(तीन सौ छः करोड़ चौरासी लाख पाँच हजार रू०) एवं राज्यांश मद की संगत राशि 83,12,06,000/–(तेरासी करोड़ बारह लाख छः हजार रू०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

26. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

27. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के विश्वविद्यालयों के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वर्धित महँगाई भत्ता/महँगाई राहत/वेतनादि/पेंशनादि एवं उपादान मद में कुल ₹ 152,29,36,326/–(एक सौ बावन करोड़ उन्नतीन लाख छत्तीस हजार तीन सौ छब्बीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

27. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

28 वित्तीय वर्ष–2015–16 में राज्य योजना के अंतर्गत बिहार राज्य में पूर्व से संचालित महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत 15 से 35 आयु वर्ग की 8 लाख महादलित एवं अति पिछड़ा वर्ग महिलाओं तथा 4 लाख अल्पसंख्यक महिलाओं को बुनियादी साक्षरता एवं विकासात्मक योजनाओं से एवं 6–14 आयु वर्ग के महादलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के बच्चों को विद्यालयी शिक्षा से जोड़ने के लिये कुल ₹22299.00 लाख (दो अरब बाईस करोड़ निनानबे लाख रू०) के व्यय की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष–2015–16 मे ₹20296.00 लाख (दो अरब दो करोड़ छियानबे लाख रू०) की निकासी एवं व्यय साथ ही, वित्तीय वर्ष–2014–15 में स्वीकृत राशि की अवशेष राशि में से ₹2003.00 लाख (बीस करोड़ तीन लाख रू०) व्यय करने की स्वीकृति का प्रस्ताव है।

28. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

29. राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा एवं 09 बालिका मदरसों अर्थात कुल 1128 मदरसों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के वेतनादि भुगतान हेतु कुल ₹ 2,85,00,00,000/–(दो अरब पचासी करोड़) रूपये मात्र का सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति के संबंध में।

29. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

30. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में सरकारी विद्यालयों, अनुमोदित माध्यमिक विद्यालय, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) माध्यमिक विद्यालय (नव उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सहित) में कक्षा 9वीं से 10वीं में वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में एक बार (one time) 75% की उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए अध्ययनरत सामान्य कोटि की 3,14,193 छात्राओं (जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय की छात्राएँ भी शामिल है) को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेतु कुल ₹ 5655.47 लाख (छप्पन करोड़ पचपन लाख सैंतालीस हजार) के व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल ₹ 28,27,73,500 (अट्ठाईस करोड़ सत्ताईस लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ) की विमुक्ति की स्वीकृति के संबंध में।

30. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

31. विद्यालयों से सामाजिक मुहिम के तहत मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की किशोरी छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु ₹ 5787.40 लाख (संतावन करोड़ सतासी लाख चालीस हजार) के व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति। — 31. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

32. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय/राजकीयकृत/सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग I-VIII में नामांकित छात्र–छात्राओं को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में one time 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री के क्रय हेतु "मुख्यमंत्री पोशाक योजना" एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना" के अन्तर्गत कुल ₹ 8,09,87,34,200/–(आठ अरब नौ करोड़ सतासी लाख चौंतीस हजार दो सौ रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति। — 32. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

33. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत संकल्प संख्या–15/एम 4–01/2015–1251, दिनांक–30.06.2015 द्वारा गठित बिहार अंगिका अकादमी के लिए पदों का सृजन। — 33. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

34. वित्तीय वर्ष 2015–16 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार बाल भवन 'किलकारी' के संचालन हेतु योजना मद से ₹ 300.00 लाख (तीन करोड़ रूपये) सहायक अनुदान की व्यय की स्वीकृति। — 34. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

35 विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के सेवानिवृत कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना अंतर्गत मद से पेंशनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में रूपये 8,90,000/–(आठ लाख नब्बे हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति। — 35. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

36 राज्य के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 के वेतनादि के भुगतान हेतु कुल ₹ 44,00,00,000/–(चौवालीस करोड़) रूपये मात्र सहायक अनुदान की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — 36. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

37. "राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्" के उपाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के कुलपति को देय कुल परिलब्धियों के समतुल्य मानदेय के भुगतान करने एवं परिषद् के सदस्यों को प्रति बैठक रूपये 5000/–(पाँच हजार) मानदेय, जिसमें यात्रा भत्ता भी समाहित है, का भुगतान करने की स्वीकृति के संबंध में।

37. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

38. भारत सरकार के आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) को राज्य के 42 शहरी नगर निकायों में कार्यान्वित किये जाने एवं उस पर अनुमानित व्यय, बिहार शहरी विकास अभिकरण (BUDA) को State Urban livlihood Mission (SULM) नामित करने और मिशन के संचालन हेतु समय–समय पर भारत सरकार से प्राप्त निदेश एवं मार्गदर्शिका के आधार पर कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति।

38. **स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

39. श्री प्रभात किशोर शरण एवं श्री अजय कुमार चौरसिया, वाणिज्य–कर उपायुक्त (वेतनमान 15,600–39,100 ग्रेड पे 7600 रू०) कोटि से वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त (वेतनमान 37,400–67,000+ ग्रेड पे 8,700 रू०) कोटि में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने के संबंध में।

39. **स्वीकृत।**

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

40. बिहार उर्दू अकादमी पटना को वित्तीय वर्ष 2014–15 के बकाये सहायक अनुदान–वेतन मद में 36.62 लाख रूपये एवं विकासात्मक कार्य हेतु 160.00 लाख रूपये अर्थात् कुल 196.62 लाख रूपये मात्र की अतिरिक्त राशि वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त कर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में।

40. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

41. 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य के पाँच चिकित्सा महाविद्यालयों (यथा–दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर, अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना एवं श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर) में मल्टीडिसीप्लीनरी रिसर्च यूनिट्स (MRU) स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार के साथ "मेमोरेण्डम ऑफ एग्रीमेन्ट" (MoA) हस्ताक्षरित करने की स्वीकृति के संबंध में।

41. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

42. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, फेज–3 अन्तर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय एवं श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर के उत्क्रमण (अपग्रेडेशन) हेतु राज्यांश के रूप में प्रति चिकित्सा महाविद्यालय रू० 30.00 (तीस) करोड़ मात्र व्यय वहन की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। — **42. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

43. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तेजाब हमलों से पीड़ितों को मुआवजा राशि प्रदान करने के संबंध में। — **43. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

44. राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजकीय, राजकीयकृत एवं सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा I से VIII में अध्ययनरत सामान्य कोटि के 1328987 छात्राओं को वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में one time 75% उपस्थिति की अनिवार्यता को शिथिल करते हुए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने हेत कुल ₹ 1,36,77,67,200 (एक अरब छत्तीस करोड़ सत्तहतर लाख सड़सठ हजार दो सौ रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति एवं प्रथम छः माह के लिए तत्काल ₹ 68,38,83,600 (अड़सठ करोड़ अड़तीस लाख तिरासी हजार छः सौ रूपये) विमुक्ति की स्वीकृति। — **44. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

45. उच्च माध्यमिक शिक्षक स्वीकृत पदों के अन्तर्गत NRB (नन राष्ट्र भाषा) विषय के 5405 अतिरिक्त पद के तहत 600 उच्च माध्यमिक कम्प्यूटर शिक्षक पद एवं शेष 4805 उच्च माध्यमिक पद को समतुल्य भार पर परिवर्तित करते हुए 2937 संगीत माध्यमिक शिक्षक, 686 नृत्य माध्यमिक शिक्षक एवं 686 ललित कला माध्यमिक शिक्षक पद के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। — **45. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

46. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत मगध विश्वविद्यालय, बोधगया परिसर में राज्य के नये आई०आई०एम० का शैक्षणिक सत्र 2015–16 से दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के भवन मे (जहॉ बी०एड० का कोर्स चल रहा है) चलाये जाने, मगध विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के प्रथम तल्ले का उपयोग आई०आई०एम० के शिक्षण कार्य प्रारंभ करने, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के द्वितीय तल्ले के निर्माण एवं इसके चहादिवारी निर्माण, मगध विश्वविद्यालय के होस्टल संख्या–06 के जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य/फर्नीचर एवं मगध विश्वविद्यालय में बी०एड० पाठ्यक्रम के संचालन के लिए नये भवन के निर्माण हेतु कुल रू० 7,69,49,894/– (सात करोड़ उनहत्तर लाख उनचास हजार आठ सौ चौरानबे रूपये) मात्र सहायक अनुदान के व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — **46. स्वीकृत।**

शिक्षा विभाग

47. Central Plan Scheme-Implementation of the Scheme for Providing Quality Education in Madarsas (SPQEM) योजनान्तर्गत राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 1127 मदरसों के अन्तर्गत 67 (सड़सठ) मदरसों में कार्यरत 67 (सड़सठ) विज्ञान शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2014–15 के मानदेय भुगतान हेतु भारत सरकार से कुल स्वीकृत राशि रू० 52,56,000 (बावन लाख छप्पन हजार) रूपये की वित्तीय वर्ष 2015–16 में सहायक अनुदान के अंतर्गत व्यय की स्वीकृति एवं तत्काल प्रथम किस्त में पचास प्रतिशत अर्थात रू० 26,28,000 (छब्बीस लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र का व्यय एवं विमुक्ति की स्वीकृति। — 47. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

48. प्रस्तावित बिहार कोसी बेसिन विकास परियोजना 376.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर (2259 करोड़ रूपये) की परियोजना है, जिसमें 250 मिलियन अमेरिकन डॉलर (1500 करोड़ रूपये) विश्व बैंक (International Development Agency) द्वारा ऋण के रूप में, 125 मिलियन अमेरिकन डॉलर (750 करोड़ रूपये) बिहार सरकार द्वारा अंशदान के रूप में, साथ ही परियोजना हेतु 1.5 मिलियन अमेरिकन डॉलर (9 करोड़ रूपये) लाभार्थी अंशदान की स्वीकृति, विश्व बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी एवं भारत सरकार के वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले आर्थिक एकरारनामा (Financial Agreement) तथा विश्व बैंक के प्राधिकृत पदाधिकारी एवं बिहार सरकार के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले परियोजना एकरारनामा (Project Agreement) के प्रारूप पर स्वीकृति। — 48. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

49. स्वतंत्रता सेनानियों एवं जे०पी० सेनानियों को मुफ्त चिकित्सा योजना की स्वीकृति के संबंध में। — 49. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

50. सिवान जिलान्तर्गत लकड़ी नवीगंज अंचल के मौजा–पड़ौली, थाना नं०–79, खाता सं०–969, खेसरा सं०–5874, रकबा–4.64 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि किस्म परती कदीम पर ग्रीड सब स्टेशन के निर्माण हेतु 1,16,00,000/–(एक करोड़ सोलह लाख) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत व्यवसायिक लगान का 25 गुणा अर्थात् 1,45,00,000/–(एक करोड़ पैतालीस लाख) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 2,61,00,000/–(दो करोड़ एकसठ लाख) रू० के भुगतान पर राज्य योजनान्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में। — 50. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

51 बिहार भूमि विवाद निराकरण(संशोधन) विधेयक, 2015 की स्वीकृति के संबंध में।

51. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

52. इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि० (IOCL) एवं बिहार सरकार के बीच सम्पूर्ण उर्जा यथा घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक और परिवहन प्रक्षेत्र में संयुक्त रूप से राज्य में प्राकृतिक गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास, सिटी गैस डिस्ट्रब्यूशन, गैस की आपूर्ति एवं अक्षय उर्जा के लिए होने वाले करार के MOU का अनुमोदन।

52. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

53. वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के तीन शहरों में उपलब्ध भू–खण्डों पर विकसित रूरल हाट के पुनरीक्षित प्राक्कलन के अन्तर्गत अतिरिक्त रू०–29,62,000.00 (उनतीस लाख बासठ हजार) रूपये एवं प्रासंगिक बोर्ड द्वारा विगत वर्ष 2011–12 में कार्यान्वित किए गए सम्मेलन/प्रदर्शनी पर हुए वास्तविक व्यय रू० 6,23,000.00 (छः लाख तेईस हजार) रूपये की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू० 35,85,000.00 (पैंतीस लाख पचासी हजार) रूपये सहायक अनुदान के रूप में स्वीकृति का प्रस्ताव।

53. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

(हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय)

54. बिहार उद्योग (हस्तकरघा एवं रेशम) क्षेत्रीय लिपिक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2015 (उद्योग विभाग)

54. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

(कमाण्ड क्षेत्र विकास निदेशालय)

55. वित्तीय वर्ष 2015–16 में कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के राज्यस्तरीय मुख्यालय के स्थापना मद में कुल 105.00 लाख रूपये की स्वीकृति तथा 4 विभिन्न कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों के अन्तर्गत विभिन्न चालू कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु सृजित स्थापना एवं कार्य मदों में क्रमशः 6400.00 लाख रूपये एवं 1670.00 लाख रूपये सहायय अनुदान की स्वीकृति अर्थात कुल 8175.00 लाख रूपये (इक्यासी करोड़ पचहत्तर लाख रूपये) की स्वीकृति।

55. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

56. लोकनायक जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में 18.03.1974 से 21.03.1977 तक चलाये गये आन्दोलन में भाग लेने वाले जे० पी० सेनानियों के सम्मान हेतु प्रारंभ की गयी जे०पी० सम्मान योजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न व्यवहारिक कठिनाईयों के समाधान के लिए योजना में आवश्यक प्रावधान करने हेतु कतिपय संशोधन करने के विषय में।

56. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

57. चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को आवंटित की जाने वाली बुनियादी अनुदान (Basic Grant) के रूप में प्राप्त होने वाली ₹2140.98 करोड़ (एक्कीस अरब चालीस करोड़ अंठानवे लाख रू०) तथा निष्पादन अनुदान (Performance Grant) के रूप में प्राप्त होने वाली ₹535.25 करोड़ (पाँच अरब पैंतीस करोड़ पच्चीस लाख रू०) अर्थात् कुल ₹2676.23 (छब्बीस अरब छिहत्तर करोड़ तेईस लाख रू०) को वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 के बीच राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों को भारत सरकार से राशि विमुक्ति के पश्चात् नगर निकायों के 2011 की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर आवंटित करने हेतु राशि के व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।

57. **स्वीकृत।**